संख्या–483 /XVI(1)/11/7(5)/11

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 **देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल,2011**

विषयः–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 (राज्य सैक्टर) की योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित बजट की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत के पत्रांक–04/1–1(102)/2011–12,दिनांक–05–04–2011, पत्रांक–06/1–1 (102)/2011–12,दिनांक–05–04–2011 एवं वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक–31 मार्च,2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 (राज्य सैक्टर) की उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के लिए समग्र रूप से अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित बजट की धनराशि में से ₹–79.23 लाख (₹उन्यासी लाख तेईस हजार मात्र) संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किस्तों के रूप में किया जायेगा।

(3) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक–31 मार्च,2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(8) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को योजनावार अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर प्रत्येक माह वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

क्रमशः––2

(10) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा मे संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय,कि अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय,जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

(12) वर्ष 2011–12 में एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 की विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो व लाभार्थियों की विकासखण्डवार/जनपदवार सूची समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

(14) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि,

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 483 **/XVI(1)/11/7(5)/11 तददिनांक,**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
7– समस्त जिला उद्यान अधिकारी,उत्तराखण्ड।
8– आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी,मुनस्यारी/उत्तरकाशी।
9– उद्यान विशेषज्ञ,कोटद्वार,पौड़ी/प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, कोटद्वार।
10–अधीक्षक,राजकीय उद्यान,चौबटिया–रानीखेत।
11–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–483 /XVI(1)/11/7(5)/11 दिनांक–29 अप्रैल,2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक/योजना का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
	अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)	
	2401–फसल कृषि कर्म, **119–बागवानी और सब्जियों की फसलें,** **02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,**	
1–	**0208–मधुमक्खी पालन (राज्य सैक्टर)**	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	18.41
	21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	2.28
	42–अन्य व्यय	0.01
2–	**0216–उद्यानों की घेरबाड योजना**	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	15.00
	योग अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)	**35.70**
	अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)	
	2401–फसल कृषि कर्म, **796– जनजाति क्षेत्र उप योजना**	
1–	**03–उत्तराखण्ड में जनजाति क्षेत्रों/व्यक्तिगत विकास हेतु औद्यानिक विकास**	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10.00
2–	**04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण**	
	02–मजदूरी	9.50
	08–कार्यालय व्यय	0.10
	09–विद्युत देय	0.10
	10–जलकर/जलप्रभार	0.05
	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.16
	15–गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद	1.25
	18–प्रकाशन	0.10
	25–लघु निर्माण कार्य	1.00
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.02
	29–अनुरक्षण	0.50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	5.00
	42–अन्य व्यय	0.75
3–	**06–मधुमक्खी पालन योजना**	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4.20
	21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	0.80
4–	**21–सघन एवं बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की योजना**	
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	5.00
5–	**29–घेरबाड़ योजना**	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5.00
	योग अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0)	**43.53**
	महायोग :– (एस0सी0एस0पी0+टी0एस0पी0)	**79.23**

(₹उन्यासी लाख तेईस हजार मात्र)

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।